

कार्यालय नगर पंचायत किरावली, आगरा।

पत्रांक— 56 / न0प0किरावली / 2026—27,

दिनांक :- 25 / 05 / 2026

ई- टेण्डर प्रणाली के अन्तर्गत टेण्डर निविदा सूचना।

समस्त फर्मों/टेकेदारों को सूचित किया जाता है कि राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत नगर पंचायत किरावली में निर्माण/विकास कार्यों को सम्पन्न कराये जाने हेतु दिनांक— 26 / 05 / 2026 सायं 5:00 बजे से वेबसाइट— <https://etender.up.nic.in> के माध्यम से शर्तों के आधार पर निविदा आमंत्रित की जायेगी। निविदा हेतु अभिलेख एवं शर्तों वेबसाइट— <https://etender.up.nic.in> पर दिनांक 26 / 05 / 2026 सायं 5:30 बजे से दिनांक— 15 / 06 / 2026 प्रातः 10:00 बजे तक उपलब्ध रहेंगे, जहाँ से इन्हें डाउनलोड व अपलोड एवं निविदा में प्रतिभाग किया जा सकता है। विस्तृत विवरण निम्नवत् है:-

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	समय
1	2	3	4
1	वेबसाइट में ई-निविदा प्रकाशन	26 / 05 / 2026	05:00 PM
2	ई-निविदा डाउनलोड की प्रारम्भ तिथि	26 / 05 / 2026	05:30 PM
3	ई-निविदा अपलोड प्रारम्भ तिथि	26 / 05 / 2026	06:00 PM
4	ई-निविदा अपलोड की अन्तिम तिथि	15 / 06 / 2026	10:00 AM
5	ई-निविदा खोलने की तिथि	15 / 06 / 2026	12:00 PM


राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से।

01	नगर पंचायत किरावली में जलापूर्ति की व्यवस्था हेतु रेलवे ट्रैक क्रॉसिंग, पाइप लाइन डालने का कार्य।	19,01,140	1,90,114	1900+342 = 2242	02 माह
02	नगर पंचायत सीमान्तर्गत प्रकाश व्यवस्था हेत दो हाईमास्ट लगवाने का कार्य।	8,97,538	89,753	900+162 =	02 माह
03	वार्ड संख्या-02 में मोहन के मकान से मुनीम के मकान तक, एवं लिंक गली में जलापूर्ति हेतु पाइपलाइन डालने का कार्य।	4,08,342	40,834	400+72 = 472	02 माह

ई-निविदा के साथ निर्धारित निविदा शुल्क व 10 प्रतिशत जमानत धनराशि के रूप न0प0 कार्यालय के बैंक खाते जोकि स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, बैंक शाखा किरावली, में संचालित की खाता संख्या— 11264240112 व IFSC- SBIN0001137 में नकद देय होगी अथवा एफ0डी0आर0 जमा करने की स्थिति में एफ0डी0आर0, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत किरावली के नाम से बन्धक होने के साथ-साथ टेण्डर अवधि के दौरान की होना अनिवार्य है तथा प्राप्त रसीद की प्रति स्कैन करके अपलोड करनी होगी अन्यथा की स्थिति में निविदा को निरस्त समझा जायेगा।

- निविदादाता को फर्म के चरित्र प्रमाण, हैसियत प्रमाण, जी0एस0टी0 पंजीकरण, पैन कार्ड, आधार कार्ड, श्रम विभाग का पंजीकरण प्रमाण, अनुभव प्रमाण, टर्न-ओवर एवं आई0टी0आर0 इत्यादि आवश्यक दस्तावेजों की स्व प्रामाणित छाया प्रति निविदा के साथ पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है तथा निविदा खुलने से पूर्व उक्तवत् सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की स्व प्रामाणित छायाप्रति संलग्न करेगा और समस्त दस्तावेजों प्रतियाँ न0प0 कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित फर्म की निविदा को निरस्त समझा जायेगा।
- प्रत्येक निविदा के लिए निर्धारित निविदा शुल्क व 10 प्रतिशत जमानत धनराशि अलग-अलग देय होगी साथ ही सम्बन्धित कागजात (डोक्यूमेंट्स) अपलोड करना अनिवार्य है।
- निविदा शुल्क की धनराशि इण्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन जमा करानी होगी, निविदा शुल्क जमा न करने पर सम्बन्धित फर्म की निविदा प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ायी जायेगी। निविदा निरस्त की जायेगी।
- निविदा प्राप्त होने के उपरान्त फर्म को नगर पंचायत किरावली में शासनादेश संख्या-3890/नौ-5-19-149 सा/2019 नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 20 सितम्बर 2019 के अनुसार औपाचारिकताएं पूर्ण करते हुए, पंजीकरण कराना होगा।

5. समस्त निविदाओं को अथवा किसी भी निविदा को ई-टेंडर प्रक्रिया के किसी भी चरण में बिना कारण बताये निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार मा0 अध्यक्ष/अधिकासी अधिकारी नगर पंचायत किरावली में निहित होगा।
6. शासनादेश संख्या- 622/23- 12-ऑडिट/08 टी0सी0-02 दिनांक 08.06.2012 के क्रम में 10 प्रतिशत बिलों तक 0.50 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक बिलों की दर पर 1.00 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर अतिरिक्त सिक्वोरिटी/परफारमेंस गारन्टी पृथक से ली जायेगी। इसके पश्चात ही अनुबन्ध व कार्यादेश जारी किया जायेगा।
7. ठेकेदार/फर्म द्वारा निदेशक स्थानीय निकाय के पत्र संख्या-तकनीकि सेल/07/निदे0/2019 दिनांक 28 जून 2019 के अनुसार समस्त निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व शासनादेश के अनुसार मानक बोर्ड लगाया जाना सुनिश्चित करें।
8. प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन नगर विकास, अनुभाग-9 लखनऊ के द्वारा जारी शासनादेश सं0-609/नौ-09-2007ज/09, दिनांक 26.02.2007 के अनुपालन में प्रत्येक निविदा पत्र के साथ 100/-रूपये के स्टाम्प पेपर पर स्वघोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
9. उक्तवत् कार्यो हेतु फर्म/निविदादाताओं को कार्य करने का पूर्ण अनुभव प्राप्त होना अनिवार्य है।
10. कार्य पूर्ण करने की अवधि 03 माह है। निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण न करने की स्थिति में एफ.डी.आर./नगद जमा धनराशि जब्त करते हुये आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
11. जिन ठेकेदारों के विरुद्ध नगर पंचायत में गंभीर आडिट आपत्तियाँ लगायी गयी है, L₁ आने पर भी उनको टेंडर आवंटित किये जाने का निर्णय टेंडर समिति द्वारा किया जायेगा।
12. निर्माण कार्य हेतु ठेकेदार को निविदा स्वीकृति के उपरान्त उ0प्र0 भवन निर्माण सन्निर्माण स्वीकृति कर्मकार अधिनियम 1996 एवं उ0प्र0 नियमावली 2019 के अन्तर्गत विभाग में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
13. निविदा का टेण्डर रेट B.O.Q में डालते समय समस्त करो का उल्लेख करना अनिवार्य है। नगर पंचायत किरावली, द्वारा अन्य कोई कर देय नहीं होगा।
14. निविदादाता की फर्म किसी भी विभाग अथवा राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा ब्लेक लिस्ट घोषित नहीं होनी चाहिये तथा तथ्यों को छिपाने के फलस्वरूप उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
15. निकाय सीमान्तर्गत पूर्व में कार्य पूर्ण कर चुके ठेकेदार/फार्म के कार्यो में ऑडिट विभाग द्वारा पूर्व में यदि आपत्तिल गाई हैं, तो भी निविदा में अर्ह के उपरांत कार्यादेश जारी करने का निर्णय अध्यक्ष/अधिकासी अधिकारी के विवेकानुसार होगा।
16. किसी परिवर्तन, संशोधन व अतिरिक्त सूचनाओं के लिए उक्त वेबसाइट पर देख सकते हैं।


 अधिकासी अधिकारी
 नगर पंचायत किरावली
 (बिगरा)
 आगरा।